केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/354 दिनांक: 07.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00351
CICOM/R/2016/00400 / CICOM/R/2016/00961

अपीलकर्ता : श्री महेश कुमार यादव,
पुत्र – श्री रामकुमार यादव,
मकान नं. 2579, 25 फुटा रोड,
बी ब्लॉक, नजदीक गली नं. 66,
संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली -110084

निर्णय की तारीख : 07.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.03.2016, 27.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	12.04.2016, 16.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल, श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	165216/19.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	496/22.08.2016

1. अपीलकर्ता ने उक्त दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/SA/2015/000210 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, एस.डी.एम. कार्यालय, सिविल लाईन्स को दिए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित सूचनाएं मांगी थी ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा अपीलकर्ता के दोनों आवेदनों के संबंध में क्रमश: दिनांक 23.03.2016 एवं 09.08.2016 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता को उनके दोनों आवेदनों को आयोग के ही अन्य जन सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु ट्रांसफर किए जाने के संबंध में सूचित किया गया, जिसे अपीलकर्ता ने आवेदन के संबंध में प्रदान की गई सूचना समझ लिया । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त पत्रों के माध्यम से कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी, केवल अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि उनका आवेदन आयोग के ही अन्य जन सूचना अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है । अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 23.03.2016 के पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया है कि उनका आवेदन पी.आई.ओ, एस.डी.एम. सिविल लाइन को सीधे जवाब देने हेतु ट्रांसफर कर दिया गया है । इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि

अपीलकर्ता से दिनांक 23.03.2016 के पत्र को पढ़ने में पुनः चूक हुई है, या अपीलकर्ता उक्त पत्र को ठीक से समझ नहीं पाए, क्योकि दिनांक 23.03.2016 के पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उनका आवेदन पी.आई.ओ, एस.डी.एम. सिविल लाइन को सीधे जवाब देने हेतु ट्रांसफर किया जा रहा है, बल्कि उक्त पत्र के माध्यम से आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग के ही जन सूचना अधिकारी श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय को ट्रांसफर किया गया है । संचिका का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 16.08.2016 को प्रथम अपील दाखिल की है तथा उसी तिथि अर्थात दिनांक 16.08.2016 को श्री दिनेश कुमार, उप- पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त– एस.ए. कार्यालय द्वारा पत्र सं. CIC/CPIO/SA/2016/000133 के माध्यम से अपीलकर्ता को उनके आवेदन के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाई गई है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रदान की गई सूचना अपीलकर्ता को प्रथम अपील दाखिल करने के समय तक उपलब्ध नहीं हुई होगी । **श्री दिनेश कुमार, उप- पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त– एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः संलग्न दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 37 एफ 969924 अपीलकर्ता का वापस किया जाता है ।

संलग्नक : **1. सूचना की प्रतिलिपि ।**
2. पोस्टल आर्डर ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।